

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

HASTSILP VIKAS SANSTHAN



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

18/11/2013



Permanent Account Number

AABAH0768G

16072014




No. 1528

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र
(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 484

वर्ष 20.13-20.14.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि "हस्तशिल्प विकास
संस्थान" }
}



सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख अठारह मास नवम्बर वर्ष दो हजार तेरह को
राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक :- 1970

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।

हस्तशिल्प विकास संस्थान

राँची, दिनांक : 18-11-13

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं :-

- (1) निबंधन शुल्क 50/- रुपया मात्र,
- (2) आम सभा का प्रस्ताव,
- (3) स्मृति पत्र,
- (4) नियमावली।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,

हस्तशिल्प विकास संस्थान

उत्ति - गुरहत, पो. च-द्वार,

जिला - हजारीबाग

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक..... २१०६

झारखण्ड सरकार,
निबंधन विभाग।

प्रेषक,

शहाब सिद्धीकी,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

व्यक्तिगत/कामपत्र
हस्तशिल्प विकास संस्थान
आर.के.पुर, जे.ए.नगर,
राँची - झारखण्ड।

राँची, दिनांक..... ११-२-१५

विषय:- स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।


महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

“ हस्तशिल्प विकास संस्थान ”

का
स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : “ हस्तशिल्प विकास संस्थान ”
2. संस्था का निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय:-
ग्राम-गुरहेत, पो0-चन्दवार, जिला-हजारीबाग,
पिन-825301 (झारखण्ड) में रहेगा।

संस्था के निबंधित कार्यालय का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को 15 दिनों के अंदर दे दी जायेगी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य एवं सम्पूर्ण भारत होगा।
4. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-



- (i) संस्था समाज के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार के ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग पर आधारित सभी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगी।
- (ii) संस्था समाज के सभी वर्गों के लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए हस्त शिल्प कला, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे सिंलाई, कटाई, बुनाई, हस्त शिल्प जैसे मेकिंग, गुड़िया निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण, कम्प्यूटर (सॉफ्ट वेयर एवं हार्ड वेयर) इत्यादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (iii) संस्था समाज के सभी वर्गों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करेगी जैसे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जीवन बीमा कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम, का विकलांगता निवारण कार्यक्रम, चलन्त चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन करेगी साथ ही सुदूर देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र एवं शिकित्सा शिविर का आयोजन करेगी।
- (iv) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को नशाउन्मूलन, बाल विवाह, डायनप्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास एवं विभिन्न कुरितियों को दूर करने हेतु जागरूकता अभियान चलाकर इसकी रोकथाम की व्यवस्था करना तथा इससे पीड़ित लोगों के लिए निदान-सह-पूर्णवास केन्द्र की स्थापना करना।

Sanjay Gole

Mohan Ranjib

Navesh Thakur

- (v) समाज में व्याप्त अज्ञानता एवं अशिक्षा के निराकरण हेतु प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन करना एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय, डिग्री एवं डिप्लोमा महाविद्यालयों की स्थापना एवं उसका संचालन करना।
- (vi) समाज में व्याप्त विषमता, शोषण, अज्ञान, अंधविश्वास, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, बाल-श्रमिक, बंधुआ श्रमिक की प्रथा को समाप्त करने हेतु सभा, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का आयोजन कर महिलाओं को जागरूक बनाने का प्रयास करेगी।
- (vii) संस्था कृषि विकास के अन्तर्गत वागवानी कुओं, तालाब, नहर, आहर, चेकडेम तथा उत्तम किस्म के खाद-बीज एवं कीटनाशक दवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देगी तथा कृषि से संबंधित सभी कार्य।
- (viii) स्वयं सहायता समूह गठन करना, अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन, बाल-विवाह एवं बालश्रम की रोकथाम, सूचना के अधिकार कानून की जानकारी तथा संचार साधनों के विस्तार की व्यवस्था करना।
- (ix) संस्था को ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सुलभ शौचालय, स्नानागार, पहूंच पथ, नाली, स्वच्छ पेयजल हेतु कुआ, बिजली संचार साधनों की व्यवस्था, चापाकल आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- (x) संस्था समाज के सभी वर्गों के बीच कला एवं संस्कृति, खेल-कूद से संबंधित प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
- (xi) संस्था अपने कार्यक्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सफाई कार्यक्रम, धुआ रहित वाहन के उपयोग, धुआँ रहित चुल्हे के उपयोग हेतु लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगी।
- (xii) वायु एवं पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना साथ ही जल एवं वन्य प्राणियों के रक्षार्थ लोगों के बीच जागरूकता लाना।
- (xiii) महिला, बाल एवं वृद्ध लोगों के कल्याणार्थ महिला आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथालय की स्थापना एवं उसका संचालन करना साथ ही उनके लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें आत्म निर्भर बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास संस्था करेगी।
- (xiv) संस्था द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं समाज के गरीब एवं असहाय लोगों के विकास के लिए सतत्प्रयत्नशील रहेगी।



10 Sonjay Goke Mohan Ranidas Navesh thakur

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-
 निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :-

क्र०	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	उम्र	योग्यता	पेशा	पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्री मोहन रविदास पिता-श्री माधो राम	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	28	बी० ए०	समाजसेवा	अध्यक्ष	 Mohan Ravidas
2	श्री नरेश ठाकुर पिता-श्री रामचन्द्र ठाकुर	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	39	पी.जी. डी.आर.डी.	समाजसेवा	सचिव	 Naresb Thakur
3	श्री संजय गोपा पिता-श्री नन्द गोपा	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	27	बी० ए०	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष	 Sanjay Gope







9

Mohan Ravidas Sanjay Gope

20

✓

Naresb thak

4	श्री जुगेश्वर बाग पिता-स्व० छोदू उरॉव	ग्राम-बोहरनपुर, पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	38	बी० ए०	समाजसेवा	सदस्य	
5	श्री आलोक शर्मा पिता-श्री राज कुमार ठाकुर	ग्राम-सौदागर मुहल्ला पो०-रामगढ़ कैंट जिला- रामगढ़ झारखण्ड।	22 24	इण्टर	समाजसेवा	सदस्य	
6	श्रीमती लक्ष्मी देवी पति-श्री रतन टोप्पो	ग्राम-चलचलैया पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	33	नन मेट्रीक	समाजसेवा	सदस्य	
7.	श्रीमती शीनू डांगे पति-श्री अभय सरावण्डा	ग्राम- डुमर पो०-चुरचू जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	25	इण्टर	समाजसेवा	सदस्य	



Mohan Ravidar Sooryay Gofz

Naresh thakur

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :-




निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन आकांक्षी हैं :-

क्र०	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	उम्र	योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्री मोहन रविदास पिता-श्री माधो राम	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	28	बी० ए०	समाजसेवा	 Mohan Ravidas
2	श्री नरेश ठाकुर पिता-श्री रामचन्द्र ठाकुर	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	39	पी.जी. डी.आर.डी.	समाजसेवा	 Nitesh Thakur
3	श्री संजय गोप पिता-श्री चन्दू गोप	ग्राम-गुरहेत पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	27	बी०ए०	समाजसेवा	 Sanjay Gope
4	श्री जुगेश्वर बाग पिता-स्व० छोटू उराँव	ग्राम-बोहरनपुर, पो०-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	38	बी० ए०	समाजसेवा	 Jugeshwar Bag



Mohan Ravidas Sanjay Gope

Narash thakur

5	श्री आलोक शर्मा पिता-श्री राज कुमार ठाकुर	ग्राम-सौदागर मुहल्ला पो0-रामगढ़ कैंट जिला- रामगढ़ झारखण्ड।	22-24	इण्टर	समाजसेवा	
6	श्रीमती लक्ष्मी देवी पति-श्री रतन टोप्पो	ग्राम-चलचलैया पो0-चन्दवार जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	33	नन मेट्रीक	समाजसेवा	
7	श्रीमती मीनू डांगे पति-श्री अभय मराण्डी	ग्राम- डुमर पो0-चुरचू जिला-हजारीबाग झारखण्ड।	25	इण्टर	समाजसेवा	



प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति जिनका फोटो उपर चिपका है तथा हस्ताक्षर उपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।



Mohan Ranidas Sanyal Gope

Navash thakur

यह सच्ची अभिप्राणित प्रतिलिपि है।
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

“ हस्तशिल्प विकास संस्थान ”

की

नियमावली

1. परिभाषा:-

- (i) संस्था से अभिप्राय है : “ हस्तशिल्प विकास संस्थान ”
- (ii) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
- (iii) पदाधिकारी से अभिप्राय है: अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
- (iv) आम सभा से अभिप्राय है : संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा ।
- (v) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है: 1ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
- (vi) अधिनियम से अभिप्राय है : संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. संस्था के सदस्यता की शर्त:-

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो तथा वे इस संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करने के लिए तैयार हों, वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । सभी सदस्यों को कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क देना आवश्यक होगा ।

संस्था से सदस्यता की समाप्ति:-

- (i) स्वयं त्याग-पत्र देने पर ।
- (ii) पागल, दिवालिया या मृत्यु होने पर ।
- (iii) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
- (iv) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
- (v) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर ।
- (vi) संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों के विपरीत आचरण करने पर ।
- (vii) संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन:-

- (i) संस्था के कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 07 (सात) सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्षों की होगी ।
- (ii) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा कराया जायेगा ।



Sanjay Gope

Mohan Kaurida

Naveesh thakur

- (iii) निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
 (iv) कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल में अगर किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो जाता है तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है, जिसे आम सभा की वार्षिक बैठक में विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार:-

- (i) संस्था के सभी चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होना ।
 (ii) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना ।
 (iii) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
 (iv) संस्था के लिए भवन, भूमि एवं अन्य उपस्कर की व्यवस्था करना ।
 (v) संस्था का भवन, भूति का मॉर्गेज, लीज, खरीद-बिक्री करना ।
 (vi) उप-शाखा का गठन करना ।

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार:-

अध्यक्ष:-



- (i) संस्था के प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी रखना ।
 (ii) आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना ।
 (iii) अध्यक्ष को आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक में निर्णायक मद देने का अधिकार होगा ।
 (iv) संस्था के कार्यकलापों के लिए सचिव द्वारा सहमति प्राप्त करना ।

5
 2

Sanjay Gore

Mohan Baidya

Navesh thakur

(ii) सचिव:-

- (i) सचिव संस्था का प्रधान होगा ।
- (ii) संस्था के प्रत्येक रिकार्ड को रखना, आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय आदि का विवरण तैयार करना ।
- (iii) अध्यक्ष से परामर्श कर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना ।
- (iv) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन करना तथा उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना ।
- (v) सचिव आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सलाह लिए बिना अधिक से अधिक ₹0 5000/- खर्च कर सकता है, जिसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में लेनी होगी । अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी ।
- (vi) संस्था के वार्षिक अधिवेशन में सभा का प्रतिवेदन वार्षिक आय-व्यय तथा आगामी वर्ष की योजना रखना ।

(iii) कोषाध्यक्ष:-

- (i) कोषाध्यक्ष संस्था के आय-व्यय का लेखा रखेगा तथा कार्यकारिणी समिति में संस्था के मासिक आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा ।
- (ii) विभिन्न क्षेत्रों से आयी हुई राशि को प्राप्त करेगा तथा उचित रसीद देगा ।
- (iii) कोषाध्यक्ष वार्षिक अधिवेशन के पूर्व ही वार्षिक आय-व्यय का अंकेक्षित विवरण कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगा ।



7. आम सभा के कार्य एवं अधिकार:-

- (i) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करना ।
- (ii) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
- (iii) संस्था के लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
- (iv) संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली में संशोधन करना ।
- (v) सचिव की राय से अन्य विषयों पर विचार विमर्श करना ।
- (vi) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।

Sanjay Gope

Moham Ravidas

Narash thakur

8. आम सभा की बैठकें:-

- (i) आम सभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।
- (ii) आम सभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अध्याचना करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु पर स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अध्याचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आम सभा की बैठक बुलानी होगी । यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलायी जायेगी तब अध्याचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आम सभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आम सभा की अध्याचित बैठक अध्याचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं ।
- (iii) कोरम:-
आम सभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी 50:1इ ।

बैठक की सूचना:-

आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व दी जायेगी ।
बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।



कार्यकारिणी समिति की बैठकें:-

- (i) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी ।
- (ii) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

10. आय का स्रोत:-

- (i) प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क चन्दा, दान, अनुदान एवं सहयोग राशि से ।
- (ii) धन संग्रह हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजित से ।

Sanjay Gole Mohan Rouslas Nimesh Thakur

- (iii) संस्था किसी व्यक्ति या कोई सरकारी/गैरसरकारी संगठन से अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना ।
- (iv) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से ।

11. कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन:-

संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त दो पदाधिकारी के हस्ताक्षर से होगा जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

12. अंकेक्षण:-

- (i) संस्था के लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जायेगा ।
- (ii) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहे संस्था के लेखा का अंकेक्षण किसी अंकेक्षक से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।



संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आम सभा के 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

14. पंजी का निरीक्षण:-

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

15

Sonjay Goke Mohan Ranial

Navesh thakur

18

15. कानूनी कार्रवाई:-
संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगा ।

16. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था:-

(i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आम सभा की विशेष बैठक में रखेगा । आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय ले लिया जायेगा तथा उसे पुनः आम सभा की दूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी ।

(ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी ।

संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।



.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

Mohan Ranjiv Des
अध्यक्ष

Sonjay Golle
कोषाध्यक्ष

Naresh Thakur
सचिव

R
S

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड
15.11.13

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

03AA 882087



यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

36436 25/10/2019

नाम
पता
मुख्य
आय
10/10/19

संजय सुभाष गुप्ता
स्टाम्प पेन्डर, गा० नं०-1/74
पंचे
बस्तादार



18 मिनटों में प्रवेश करने के लिए
आवश्यक कार्यालय नमूने लिए

FORM ITR-V

INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically]

Assessment Year

2019-20

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

PERSONAL INFORMATION AND THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

Name HASTSILP VIKAS SANSTHAN		PAN AABAH0768G	
Flat/Door/Block No 0	Name Of Premises/Building/Village GURHET		Form Number ITR-5
Road/Street/Post Office CHANDWAR	Area/Locality CHANDWAR		
Town/City/District HAZARIBAGH	State JHARKHAND	Pin/ZipCode 825303	Status AOP/BOI Filed u/s 139(4)-Belated
Assessing Officer Details (Ward/Circle) ITO WARD 2(1), HAZARIBAGH			
e-Filing Acknowledgement Number 341375090270520			

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income	1	0
2	Total Deductions under Chapter-VI-A	2	0
3	Total Income	3	0
3a	Deemed Total Income under AMT/MAT	3a	0
3b	Current Year loss, if any	3b	916
4	Net Tax Payable	4	0
5	Interest and Fee Payable	5	1000
6	Total Tax, Interest and Fee Payable	6	1000
7	Taxes Paid		
	a Advance Tax	7a	0
	b TDS	7b	0
	c TCS	7c	0
	d Self Assessment Tax	7d	0
	e Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)	7e	0
8	Tax Payable (6-7e)	8	1000
9	Refund (7c-6)	9	0
10	Exempt Income		
	Agriculture		
	Others	10	

VERIFICATION

I, NARESH THAKUR son/ daughter of RAMCHANDRA THAKUR, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number 341375090270520 is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as Trustee and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number AJVPT6101B.

Sign here

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only

Receipt No

Date of submission

27-05-2020 16:09:41

Source IP address

192.140.229.2

Seal and signature of receiving official



AABAH0768G0534137509027052061C8317C25614C65D1602F9F52B659763F875966

Please send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to "Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500", by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY**, so as to reach **within 120 days** from date of submission of ITR. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id hbcc_ranchi@yahoo.in

On successful verification, the acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of filing the return.

THIS IS NOT A PROOF FOR HAVING FILED THE RETURN